सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 902 राँची, बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

6 नवम्बर, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-139/2014 का०-8874-- श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-176/03, गृह जिला-देवघर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र कर धोखाधड़ी पूर्वक जाली कागजात तैयार कर राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितता बरतने तथा अपने पद का दुरूपयोग कर अभिकर्त्ता को नाजायज आर्थिक लाभ पहुँचाने के आरोप में श्री सिंह एवं अन्य विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-48/92, धारा 420/468/469/477(ए)/120(बी)/109 भा0द0वि0 एवं धारा 5(2) पठित धारा 5(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 परिवर्तित धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज की गयी।

2. उक्त (निगरानी थाना कांड सं0-48/92) कांड में विधि (न्याय) विभाग, बिहार के आदेश सं0-1839/जे0, दिनांक-28.05.2002 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी एवं माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी), पटना के न्यायालय में आरोप पत्र सं0-05/2002, दिनांक 06.07.2002 समर्पित किया गया।

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-751, दिनांक-27.08.2014 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-48/92 में माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना द्वारा दिनांक-30.03.2013 को परित आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई, जिसका operative part निम्नवत् हैः-

"Considering the above facts and circumstances of the case and submissions made on behalf of the parties, convicts namely 1. Chandra Shekhar Singh, 2. Umesh Prasad Singh, 3. Uma Shankar Yadav, 4. Manohar Prasad Gupta and 5. Bageshwari Prasad Singh each of the convicts are hereby sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of one (1) year under section 120-B I.P.C.. They are hereby further sentenced to undergo for a period of two (2) years Rigorous Imprisonment U/S 420/34 I.P.C.. They are hereby

further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3 (three) years U/S 468 I.P.C.. They all are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3 (three) years U/S 477-A I.P.C.. They all are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of (two) 2 years and a fine of Rs. 1000/- (Rs.One thousand) each only U/S 201 I.P.C. and in default of payment of fine three (3) months Rigorous Imprisonment. They are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 2 (two) years U/S 5(2) of Prevention of Corruption Act, 1947 corresponding to Section 13(2) of Prevention of Corruption Act, 1988. All the sentences shall run concurrently. The period already undergone as under trial prisoners shall be set off from the period of sentences passed today under the provision of Section 428 Cr. P.C."

4. निगरानी थाना कांड सं0-48/92 में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, पटना के न्यायालय द्वारा श्री सिंह को दण्डित किये जाने के कारण इनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अंतर्गत उनकी समूची पेंशन पर रोक के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5927, दिनांक 24.07.2019 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की माँग की गयी।

5. श्री सिंह के पत्र, दिनांक 06.09.2019 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा समर्पित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) श्री सिंह द्वारा कहा गया कि निगरानी थाना कांड सं0-48/92 स्पेशल वाद सं0-25/92 में दिनांक 30.03.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रिमिनल अपील दायर किया गया है, जो दिनांक 29.04.2013 को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

(ii) झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के तहत सेवा से अवकाश प्राप्त करने के तीन साल के अंदर ही सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती है।

6. श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री सिंह द्वारा अपने कारण पृच्छा में उल्लेखित माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर क्रिमिनल अपील की कोई छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है और उक्त क्रिमिनल अपील में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यदि कोई स्थगन आदेश दिया गया है अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। यदि संबंधित क्रिमिनल अपील में माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है तो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर अपील के आधार पर दण्ड अधिरोपित न करने का तर्क मान्य नहीं है।

(ख) श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में उल्लेखित किया गया है कि झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के तहत् सेवा से अवकाश प्राप्त करने के तीन साल के अंदर ही सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) निम्नांकित है-

''भविष्य सदाचार, हर पेंशन प्रदान की मानी हुई शर्त्त है। राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस ले लेने का अधिकार होगा, यदि पेंशन भोगी गंभीर अपराध के लिये दोषी ठहराया जाए या घोर कदाचार का दोषी हो। इस नियम के अधीन समूची पेंशन या उसका कोई अंश रोक रखने या वापस ले लेने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।'' अतः श्री सिंह का उक्त कथन मान्य नहीं है।

अतः श्री चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अंतर्गत उनकी समूची पेंशन पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 902 -- 50